रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933

No. 603] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 796(अ).—केन्द्र सरकार, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2009 के नियम, 24 के उप-नियम (4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, नामत: :—

> "बशर्ते कि यदि किसी सीमित देयता भागीदारी का वित्तीय वर्ष दिनांक 31-3-2011 को समाप्त होता है, वह लेखा एवं ऋण शोधन क्षमता विवरण से संबंधित वित्त वर्ष के छ: माह की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र 8 में लेखा एवं ऋण शोधन क्षमता विवरण दर्ज करेगी ।"

[फा. सं. 2/17/2011-सीएल-V]

यू. सी. नाहटा, निदेशक (निरीक्षण एवं जांच)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2011

G.S.R. 796(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. After sub-rule (4) of rule 24 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, the following proviso shall be inserted, namely :—

> "Provided that if a limited liability partnership has closed the financial year on the 31st March, 2011, it shall file the Statement of Account and Solvency in Form 8 with the Registrar, within a period of sixty days from the end of six months of the financial year to which the Statement of Account and Solvency relates"

[F. No. 2/17/2011-CL-V]

U. C. NAHTA, Director (Inspection and Investigation)

4064 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.